

जनसंपर्क माध्यम तथा भारतीय संगीत

अशोक दामोदर रानडे

(मूल प्रसिद्धी - संगीत कला विहार, संपा. बी. आर. देवधर, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडळ, मिरज, अप्रैल १९७६)

यह बीसवीं सदी जनसंपर्क माध्यमों की सदी के नाते जानी जाती है। इसमें संदेह नहीं कि संपर्क माध्यमों की विविधता, उनका प्रसार तथा उनकी गति के कारण यह बात सिद्ध हो गयी है। भारत तथा भारतीय संगीत पर भी माध्यमों का प्रभाव दिखाई देता है। आज यहां हम यह देखेंगे कि भारतीय संगीत पर माध्यमों का असर किस प्रकार हुआ है।

मैकलुहान जैसे माध्यम-महर्षि ने माध्यमों का विचार करते समय तथा मूल्यांकन करते समय दूरध्वनी, चक्र, कागज आदि चीजों का अंतर्भाव अपने अन्वेषण में किया है। परंतु माध्यमों के संदर्भ में उन्होंने दो संज्ञाओं तथा संज्ञा विशेषणों का उपयोग किया दिखाई देता है। वे हैं संचार माध्यम तथा आकलन माध्यम। स्पष्ट है कि आकलन माध्यमों का वर्ग बड़ा होगा, समावेशक होगा और उनमें संचार माध्यमों का भी समावेश होगा। संगीत के संदर्भ में माध्यमों का विचार करते समय माध्यमों का वर्ग आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में लेकर संगीत पर प्रत्यक्षतया असर करने वाले माध्यमों के नाते आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, ध्वनिमुद्रण तथा चित्रपट आदि माध्यमों का विचार हम संक्षेप में करेंगे।

इन माध्यमों के संगीत पर होने वाले परिणाम का विचार भी अनेक ढंगों से किया जा सकता है। संगीत और संगीतकार के आर्थिक और सामाजिक स्थान और महत्त्व को बदल देने वाले उद्योग के नाते हम उनकी ओर देख सकते हैं। हम उनकी ओर इससे भी निराली दृष्टी से देखेंगे। हम देखेंगे कि कलास्वाद, कलानिर्माण तथा तत्सम सौंदर्य शास्त्रीय अंगों पर माध्यमों का क्या असर होता है और वैसा वह क्यों होता है। संगीत निर्माण, उसका प्रयोग, उसका ग्रहण तथा शिक्षा इन चार पहलुओं का हमारे विचारों में स्थान रहेगा। अंततः सारे वर्गीकरण सुविधा के लिए होने पर भी संगीत के विचार के लिए उपरोक्त चार श्रेणियों के वर्ग की कल्पना करने में यह लाभ है कि ये चारो प्रकार संगीत से प्रत्यक्ष में सम्बंधित है।

उपरोक्त सभी माध्यमों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं और उनमें से हर एक का संगीत पर होने वाला परिणाम भी विशेष है, परन्तु सभी के लिए सामान्य हो ऐसे भी कुछ परिणाम हैं। पहले हम ऐसे ही कुछ परिणामों को देखेंगे। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सभी माध्यमों में पाये जाने वाले सामान्य सांगीतिक परिणाम क्यों होते हैं इसका उत्तर खोजने के लिए माध्यमों के अन्य विचारों को भी देखना होगा।

सभी माध्यमों का भारतीय संगीतकार के कलाविषयक ज्ञान पर परिणाम दिखाई देता है। वाद्यवृंद रचना का न होना और स्वर संहती (एक समय एकही स्वर) की प्रणालि से संगीताविष्कार का प्रभावित रहना इन बातों के कारण भारतीय संगीत में कलातत्त्वों को एक निराला तथा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे संगीताविष्कार पर अनुक्रमी काल अथवा 'घडी' के काल का बंधन न होने से हम विस्तार को भी बंधन में नहीं बांधते। माध्यमों के आगमन के पश्चात् तथा उनके प्रभाव के कारण हमारे आविष्कार का कालिक एकक (युनिट) अधिकाधिक निश्चित होता जा रहा है। पुराने जमाने की तरह अब हम व्यावहारिक तथा सांगीतिक - इस प्रकार दोनों स्तरों पर काल तत्त्व को नियंत्रित नहीं करते। संगीतकार का ध्यान उस व्यावहारिक काल पर ही अधिक केंद्रित होने लगा है जिस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। ध्वनिमुद्रण के जो प्रचलित कालिक एकक होते हैं (जैसे :- ३ १/२ मिनट, ७ मिनट वगैरह) उनमें और संगीताविष्कार में कोई मूलभूत नाता नहीं होता इस बात को हर एक संगीतकार अनुभव करता है। फिर भी ये कालिक एकक संगीताविष्कार के एकक पर सवार हो चुके हैं।

इन सभी का संगीत निर्माण पर भी परिणाम हुआ है। सांगीतिक आकृतिबन्ध का आराम से विस्तार किया जा रहा हो अब ऐसा देखने में नहीं आता। तत्कालीन स्फूर्ति की संगीत निर्माण में आजकल कम गुंजाईश होती है। अब कलाविष्कार में एक तरह की व्यापार प्रवृत्ति दिखायी देने लगी है कि जानबूझकर स्वराघात अथवा लयाघात के द्वारा अधिक स्थूल प्रयोग करके अपने प्रयत्नों को ठोस रूप में प्रस्तुत करने पर भी काम चल जाएँ। संक्षेप में संगीत रचना के विभागों को स्थूलाकार में प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील रहने की ओर अधिक झुकाव दिखायी देने लगा है। ध्वनिमुद्रण तथा आकाशवाणी पर संगीताविष्कार के इन प्रयत्नों को श्राव्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ लय के विभागों तथा अकृतिबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करने के प्रयत्न दिखाई देते हैं। आघात को स्पष्ट करने की ओर झुकाव रहता है। चित्रपट तथा दूरचित्रवाणी में इसका स्थान हस्तसंचालन लेता है। सांगीतिक उद्देश्य तथा संकल्पों को अनिवार्य संगत हस्तसंचालन तथा अभिनय के द्वारा होती दिखायी देती है। शरीर को ज्यादा झटके देना, हालचलों को खंडित करना, हाथ की उंगलियों को नृत्यानुकुल ढंग से हिलाना आदि दोष स्पष्ट रूप से कैमरा के भान का परिणाम है।

प्रत्यक्ष कार्यक्रम की तुलना में देखें तो ध्वनिमुद्रित अथवा प्रक्षेपित (आकाशवाणी आदि से) संगीत को एक विशेष प्रकार की अंतिमता, सीमा होती है। इस सीमा के दो पहलु होते हैं। एक तो आविष्कार के लिये उपलब्ध समय सीमित होने से कलाकार को वही पेश करना पड़ता है जो उसकी कला में उत्तम हो तथा उत्तम होने के कारण ही ग्रहण किया जाता हो। ऐसा करने से यदि वे चुके तो वे उस भाग को उसी कार्यक्रम में पुनः प्रयत्न करके प्रस्तुत नहीं कर पाते। फिर भी यदि उन्होंने ऐसा किया ही तो उन्हें संकल्पित आविष्कारों से किसी अन्य अंग अथवा भाग को छोड़ना पड़ सकता है। उसके विपरीत प्रत्यक्ष कार्यक्रम में भुले गये, छूटे हुए हिस्से को बिना किसी अन्य अंग को छोड़े, उसे दुरुस्त करना हो तो वे कर सकते हैं। क्योंकि तब उन पर समय का बंधन नहीं रहता। अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसी बात नहीं रहती। माध्यम सम्बंधित आविष्कार में भूली बात को भूल जाना ही अच्छा रहता है क्योंकि ऐन मौके पर उसमें अंतर्गत परिवर्तन नहीं किये जा सकते। शायद पूछा जा सकता है कि पुनर्मुद्रण का क्या ? पुनर्मुद्रण से इस सीमा को निरूपद्रव बनाया जा सकता है। परंतु अगर इस बात को ध्यान में लें कि पुनर्मुद्रण प्रायः संपूर्ण आविष्कार का होता है, तो ध्यान में आ जायेगा कि माध्यम सम्बंधित आविष्कार की सीमा अनिवार्य होती है।

माध्यम सम्बंधित आविष्कार की सीमा का और एक पहलू है। सुननेवाले, ग्रहण करनेवाले की ओर से भी विशेष प्रकार की सीमा दिखाई देती। सुनने वाले का पुरे ध्वनिमुद्रण को सुन पाना मगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न कर पाना इसी बात को दर्शाता है। प्रत्यक्ष कार्यक्रम में कलाकार और श्रोता के बीच लेन-देन रहता है। श्रोताओं का कलाकार पर प्रभाव रहता है। इतना ही नहीं श्रोताओं के द्वारा कलाकार नियंत्रित भी हो जाता है। कुछ भी हो, श्रोताओं की दृष्टि से देखा जाएँ, तो आविष्कार में सहभागी होना प्रत्यक्ष कार्यक्रम में सहज संभाव्य रहता है। माध्यम सम्बंधित आविष्कार एक तरफा व्यवहार होता है। भारतीय संगीत की भारतीय बैठक और दाद देना आदि बातों को देखा जाएँ तो ध्यान में आ जायेगा कि माध्यम सम्बंधित संगीताविष्कार कुछ अपूर्ण सा लगता है। भारतीय संगीत के संदर्भ में श्रोतृवृंद केवल ग्राहक नहीं होता। वह प्रत्यक्ष में, अल्प मात्रा में ही क्यों न हो, कलाकार का सहयोगी रहता है।

माध्यम सम्बंधित आविष्कार की जो विशेषता ऊपर बतायी है, उन सभी का एक संकुल परिणाम यह होता है कि प्रत्यक्ष आविष्कार में जो दो अवस्थाएँ बड़े आकर्षक ढंग से अभिन्न रहती हैं वे माध्यम सम्बंधित आविष्कार में अलग अलग बन जाती हैं। इससे उन दोनों के बीच बड़ा अंतर निर्माण हो जाता है। रचना करना और उस पर अमल करना ये ही वे दो अवस्थाएँ हैं। किसी भी माध्यम सम्बंधित आविष्कार में प्रयोगकर्ता पर कई दबाव होते हैं। नियत समय में अपनी उत्तमोत्तम चीजों को अपरिवर्तनीय ग्रहणक्रिया के सामने, श्रोता दर्शकों के सामने रखना पड़ता है। तत्कालस्फूर्त रचना करना अथवा उत्स्फूर्त कल्पनाओं को आजमा लेना आदि साहसपूर्ण बातें वे नहीं कर सकते। इसका परिणाम ये होता है कि क्या प्रस्तुत करना है इसकी कल्पना पहले से ही करने की ओर वे

प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रस्तुतीकरण की प्रणालि के घटकों को दिया जाने वाला कम-अधिक महत्त्व आदि बातों की जन्मपत्रिका बहुत पहले और स्पष्ट रूप से बनार्यी जाने लगती है। इतनी सारी बातें होने के पश्चात, इतने सारे निर्णयों के पश्चात शेष रह जाता है केवल ईमानदारी, सफाई और कार्यक्षमता के साथ उन बातों को अमल करना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम तत्कालस्फूर्त संगीत से पूर्वर्चित संगीत की ओर मुड़ने लगे हैं। हम बैठक नहीं, कार्यक्रम करने लगे हैं। (सच्चे अर्थों में परफार्मन्स कौन सा और रिसायटल कौन सा आदि बातों की चर्चा मैंने अन्यत्र की हैं।) माध्यम सम्बंधित आविष्कार में संगीत-कृती का संकल्पन और उनका प्रयोग ये दोनो अवस्थाएँ पूर्णरूप से भिन्न हो गयी हैं। प्रत्यक्ष कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। साधारण तौर पर हमारी कलाकृति का 'संविधान' अलिखित होता है जो आसानी से बदल पाने का विश्वास कलाकार को होता है। माध्यम सम्बंधित आविष्कार में इस सांत्वना का पूर्णरूप से अभाव रहता है।

माध्यम सम्बंधित आविष्कार की और एक विशेषता यह होती है कि संगीताविष्कार के जो कुल चेतक समूह उपलब्ध होते हैं उनमें से कुछ चुनकर उन्हीं पर ग्राहक के ध्यान को केंद्रित करने में माध्यमों को सफलता मिलती है। दृश्य, स्पर्श, गतिसंबद्ध, श्राव्य आदि कई प्रकार के चेतक किसी भी संगीताविष्कार में एक ही समय कार्यरत होते हैं। और इन सब का ग्रहण हम अपनी पसंद के अनुसार, अभिरूचि के अनुसार करते हैं। माध्यम पहले ही इस बात का निर्णय कर लेते हैं की कौनसे चेतक का हम पर प्रभाव हो। ध्वनिमुद्रण, आकाशवाणी जैसे माध्यमों में हम दृश्य चेतकों से वंचित रह जाते हैं। मुद्दा यह कि ग्राहक इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि उसे क्या चाहिए। रेडिओ, टी.व्ही. में टोन-कंट्रोल जैसी सुविधा करने की इच्छा यही दर्शाती है की माध्यम ऐसी बातों में ग्राहक से स्वतंत्रता को छीन लेता है।

संगीताविष्कार के स्वाभाविक गुणों में माध्यम के कारण किस प्रकार सर्वांग परिवर्तन हुआ है इसका अनुभव कार्यक्रम में ग्राहक की भागीदारी से मिलता है। प्रत्यक्ष आविष्कार का अर्थ है कि मान्य और स्वीकारार्ह मार्ग से ग्राहक का होने वाला जुड़ाव। पसंदगी कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रकट करें यहाँ से लेकर कैसे बैठे, किस प्रकार बोले यहां तक वह संकेतों से बद्ध रहता है। किसी धार्मिक विधी में सहभागी होने वाले व्यक्ति की तरह उसकी मानसिक शारीरिक तैयारी होना आवश्यक रहता है। माध्यम सम्बंधित आविष्कार ने इस जुड़ाव को नष्ट कर दिया है। धर्मविधी के स्थान पर संगीताविष्कार का कर्मकांड हो गया है। समय जानने के लिए, दैनंदिन कार्य के लिए पार्श्वसंगीत के तौरपर अब संगीत का उपयोग हो सकता है। आसपास संगीत हमेशा बजता रहने के बावजूद ग्राहक पर किसी भी प्रकार का संस्कार न होने का चमत्कार केवल माध्यम युग में ही हो सकता है।

फिर भी अगर ग्राहक माध्यम के द्वारा ही क्यों न हो, संगीत ग्रहण करने लगे, तो जल्दबाजी करने से उसकी ग्रहण क्रिया में कलाविष्कार के उत्कर्षबिंदु तक पहुंचाने के खींचाव का ग्रहण लग जाता है। प्रत्यक्ष आविष्कार में कलाकार उत्कर्षबिंदु की ओर धीरे धीरे, क्रम क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी पहुँचता है और उससे जुड़ा हुआ ग्राहक भी उसी प्रकार, आविष्कार के साथ ही बढ़ता जाता है। माध्यम सम्बंधित आविष्कार में समय की पूर्वनिश्चित और अपरिवर्तनीय सीमा के कारण कलाकार अपने संभाव्य आविष्कार का गणिती संपादन निश्चित रूप से करना चाहता है। फलाना समय, फलानि जगह, फलानि तिहाई, फलानि तान, और अंत में इस प्रकार की हरकत आदि बातों का पूर्व निश्चय कर लेता है। इस प्रकार की ठंडी कार्यक्षमता से बंधे हुए आविष्कार तथा परिणामकारक ढंग से सामने बिठाए हुए उत्कर्ष बिंदु का चस्का लगे श्रोता को इसकी आदत हो जाती है। आविष्कार की हर एक कला को ग्रहण करने के लिए आवश्यक सतर्क और शांत मनोवृत्ति उसके पास रहती नहीं। वह बाह्य संकेतों की खोज में रहने लगता है। बढ़ती लय, उसका अनियंत्रित प्रयोग, खींचातानी करके लाये तिये, कृत्रिम सवाल-जवाब आदि की पहचान उसे आसानी से हो जाती है और इन्हीं बातों पर वह संतुष्ट रहने लगता है। फिर कलाकार भी संगीत सिद्धी के बजाय उसकी परिणाम कारकता पर बल देने लगते हैं। फिर ऐसा

लगता है की लेने वाला और देने वाला भी दोनों ही कलाकृति की ओर इस दृष्टि से देखते हैं, कि मानो वह कृत्रिमता से जल्दी पकाया जाने वाला फल ही हो।

इसमें और एक बात यह है कि माध्यम जनसंपर्क के लिए होते हैं। अतः जनता की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, अभिरुचियों का प्रतिबिंब उनके कार्यों में किसी न किसी प्रकार दिखायी देना अटल है। ग्राहक की ओर से किसी न किसी प्रकार फीड-बैक आता रहता है। और माध्यमों पर इसका बड़ा असर पड़ता है। विशेषकर विकसनशील राष्ट्रों में शैक्षणिक स्तर को सर्वत्र समान करने के लिए माध्यमों का उपयोग करने की प्रवृत्ति रहती है। चुने हुए, जानकार लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने की घटना जो कभी कभी हो जाती है अथवा संयोगवश हो जाती है वह इस पार्श्वभूमि पर। कार्यक्रम के द्वारा निश्चित प्रतिसादों का आवाहन करना, सांस्कृतिक ढाँचों का ठोस उपयोग करते रहना आदि बाते नियमित रूप से होती रहती है। सांगीतिक कार्यक्रम के संदर्भ में यह क्रिया अनेक ढंगों से होती रहती है। गायक वादक के 'कैमेरा योग्य' होने पर बल देना निवेदन तथा टीका टिपणी में भव्य परंपरा, प्रतिभासंपन्नों का असाधारणत्व और चिकने चुपड़े भावावेश से भर-भर कर गाने का वर्णन करना आदि बाते इस संदर्भ में नमूने के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है। विकसनशील राष्ट्रों में सांस्कृतिक जनशासन की भ्रमपूर्ण, राजनीतिक प्रेरणा से प्रभावित होने वाली कल्पना और विचक्षण सौंदर्य कल्पनाओं से प्रेरित सांस्कृतिक विवेक के बीच हमेशा ही संघर्ष रहता है। इसी लिए माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रम हमेशा संमिश्र गुणों के रहते हैं। मेरे विचारों में, विकसनशील देशों में माध्यमों का यही बर्ताव रहेगा इस बात का स्वीकार कर चुप रहने में ही भलाई है। अन्यथा एक बात माननी होगी कि, समाज हमेशा सांस्कृतिक दृष्टि से कई स्तरों का रहेगा इसका स्वीकार करना और उसका प्रतिबिंब कार्यक्रम में दिखाई देने की घटना को पूँजीवाद न मानना।

जिन कार्यक्रमों से फीड-बैक मिले हो उन्हीं की ओर झुकाव रहना माध्यमों की प्रवृत्ति रहती है। इसका परिणाम उनके तांत्रिक पहलुओं पर हुए बिना नहीं रहता। फिर श्रवण सम्बन्धित माध्यम स्थूल नाद तरंगों पर तथा दृक् सम्बन्धित माध्यम दृश्य भाग पर बल देने लगते हैं। किसी को भी मधुर लगने वाली आवाज की ओर श्रवण सम्बन्धित माध्यम आकर्षित होने लगते हैं। ध्वनिमुद्रक यंत्र के स्तर को बनाये रखना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सांगीतिक आवश्यकताओं का विचार किये बिना साधारण तौर पर यंत्र सामग्री का उपयोग किया जाने लगता है। लक्ष्य रहता है ध्वनि मुद्रण करने का, न कि संगीत मुद्रण करने का। दूरदर्शन में भी कोई और हाल नहीं है। चिकने-चुपड़े वही चेहरे, हावभाव, अभिनय और हरकतें आदि में दिखायी देने वाले फिल्मपन का आधा श्रेय जाता है सांस्कृतिक जनताराज की आवाज के प्रभाव को ओर उसी को फीड-बैक मानने वाले माध्यमों को।

तांत्रिक पहलुओं का प्रभाव प्रत्यक्ष ध्वनिमुद्रण की प्रणालियों पर भी पड़ता आया है। जब से ध्वनिमुद्रण की खोज हुई है तब से ध्वनिमुद्रित होने वाले वाद्य और आवाज में किस प्रकार संतुलन रखा जाएँ इसका भान सूक्ष्म रूप से बदलता आया है। सभी घटक ध्वनि स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से सुनायी दें - इस हेतु से हर एक वाद्य को अलग ध्वनिग्राहक देना यह हो गयी पहिली सिडी। फिर गाये जाने वाले घटकों तथा बजने वाले घटकों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। इस से संगीत-प्रयोग की एक संघ बात-कृति करने वाले एकक (युनिट) विघटित हो जाते हैं। इसका परिणाम रचनाओं में दिखायी देता है। ध्वनिमुद्रण को अच्छा बनाने वाले वाद्य, ऐसी ही आवाज और ऐसी ही रचनाएँ, अधिक और ज्यादा चमकदार वाद्य, रचना में प्रयुक्त किये जाते हैं। ऐसे नादरंग दिलाने वाले वाद्यों में इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों का स्थान ऊपर का होने से उनका उपयोग बढ़ती मात्रा में रहता है। एक तरह से स्थूल हार्मनी और पार्ट रायटिंग (विभिन्न घटकों के लिए संगीतरचना में विशिष्ट भाग की रचना स्वतंत्र रूप से करना) का प्रयोग होने ही लगा है। हमारे राग आगे चलकर बने रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें संदेह नहीं कि राग और स्वतंत्र गायन वादन में उनका विस्तार करने की परंपरा इन दोनों पर माध्यमों का जोरदार दबाव रहेगा। अधिकाधिक वाद्य, वाद्यसंगीत और हार्मनी की हम अपनाते जायेंगे और माध्यमों के कारण यह क्रिया शीघ्र गती से होती जायेगी।

आसानी से ध्यान में न आने वाला माध्यम सम्बंधित लाभ यह है कि दृश्य और श्राव्य अनुभवों का तुल्यशक्तित्व परखना उनके कारण आसान होने लगा है। आज अन्य कलाओं के साथ ही संगीत का जो प्रवास है वह एक कुतूहल का विषय बन गया है। और अगर माध्यमों के द्वारा उपलब्ध हुए मुद्रण, रक्षण और इच्छानुसार सहाविष्कार (सिन्क्रोनायझेशन) आदि बातों की सुविधा न होती तो यह यात्रा संभव न हो पाती। माध्यमों का समर्थन न हो तो यह कहने में कोई अर्थ नहीं कि दृश्य-श्राव्य हाथों में हाथ डालकर विचरण करें तो शिक्षा आसान होगी। संगीत शिक्षा में भी इसका उपयोग तथा परिणाम अवश्य होकर रहेगा। संगीतोपचार और संगीत के शैक्षणिक उपयोग ऐसे क्षेत्रों में भी माध्यमों के कारण आश्चर्यों का जन्म होगा इसमें कोई संदेह नहीं है।

माध्यमों के कारण हमारा संगीत थोड़ा स्त्रीपरक, जनाना हो गया है। ध्वनिमुद्रण सामग्री की संवेदनशीलता और 'क्लोज अप' जैसे तांत्रिक अविष्कारों के कारण जोशीले और मर्दानी आविष्कारों की अवनति होने लगी है। आवाज में सूक्ष्म भेद कर संगीतात्म आशय की सूक्ष्मता अब पेश की जाती है। नादपूर्ण परंतु अधिक उलझनभरी नाद कृतियों को अब गायक वादक दोनों ही महत्त्व देने लगे हैं। गायकों में मंद्र आलापों की मात्रा बढ़ने लगी है और वाद्यवृंद में मीड जैसे अलंकारी का प्रयोग प्रचुरता के साथ किया दिखायी देने लगा है। यह तो माध्यमों के पुण्य का ही फल है। विशेष कर तंतुवाद्यों को प्राप्त प्रतिष्ठा, उनकी बढ़ी हुई संभाव्यता और क्षमता इन सारी बातों का श्रेय माध्यमों को ही है।

भारतीय संगीत के संदर्भ में माध्यमों का जो उपरोक्त विश्लेषण किया है वह और भी विस्तार के साथ किया जा सकता है। परंतु संगीतनिर्माण, प्रयोग, ग्रहण, और शिक्षा इन चार पहलूओं को सामने रखकर किया हुआ यह विचार समूल गलत बन जाने की संभवना बहुत कम है। यद्यपि इन चार पहलूओं के माध्यमों के साथ रहने वाले संबंधों का अलग अलग रूप से विचार करना आदर्श लगे तो भी भारतीय संदर्भ में यह उचित नहीं लगता क्योंकि विकसनशील देशों में माध्यमों के प्रयोग की प्रेरणाएं अधिक संमिश्र होती हैं, उन प्रेरणाओं के लिए उपलब्ध आविष्कार मार्गों का प्रयोग अलग अलग ढंग से नहीं होता। इसलिए उपरोक्त हर एक पहलू का विचार स्वतंत्र रूप से करना बड़ी कठिन बात है।

इस संमिश्र दृष्टिकोण के साथ ही उपरोक्त सारे विश्लेषण में एक तरह की तटस्थता है। ये अपरिहार्य है। क्योंकि माध्यमों को आए अभी बहुत समय नहीं हुआ है। और भारत में तो कुछ माध्यम अभी भी अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में माध्यमों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध किसी प्रकार का सुर लगाना न्याय्य नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत के माध्यमों के कार्य का परीक्षण भी नहीं कर सकते। भारतीय संगीत के संदर्भ में, भारतीय जनसंपर्क माध्यमों के शासन का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ध्वनिमुद्रण :

१) ध्वनिमुद्रिका और ध्वनिपट्टिका पर जो ध्वनिमुद्रण होता है उसने, समाज के विविध स्तरों में संगीत को 'संगीत' के नाम से परिचित कराने की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। संगीत के नाते कुछ श्राव्य अनुभवों का सुनने वालों द्वारा पहचानने का मतलब यह है कि उनके मन में कुछ निश्चित ढाँचे निर्माण हो रहे हैं। अन्यथा श्राव्य संवेदना के नाते जिनका स्वीकार किया गया हो ऐसे अनुभवों का संगीत के नाते अभिलेखन करा लेने का अर्थ है नये अनुभवों की सांगीतिक संगति लगाना।

२) संगीत को फिर से मन चाहि मंजिल से बजा सकना, जिससे संगीत के आकृतिबंधों का रसग्रहण और आकृतिबंधों का विश्लेषण कर कलाकृती की समीक्षा करना - ये दो बातें संभवनीय हो गयी हैं। इन प्रणालियों का भी संगीत ग्रहण तथा समीक्षण हमारे यहाँ ठीक ढंग से नहीं होता। इस के लिए समीक्षाकारों के आलस के अतिरिक्त और कोई कारण दिखायी नहीं देता।

३) हमारे ध्वनिमुद्रण तथा ध्वनिमुद्रण के व्यवसाय को शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का भान नहीं है। असली लोकसंगीत जिसकी तर्जें न बनी हो, संगीतकार के बहार के दिनों की मुलाकातों तथा सोदाहरण चर्चा, सांगीतिक दृष्टि से महत्त्व रखने वाला परंतु व्यापार की दृष्टि से कम महत्त्व का खानदानी संगीत आदि बातों को ध्वनिमुद्रिका आदि में स्थान नहीं मिलता। चलन के सिक्कों की तरह संगीत जमा करके रख दिया जाता है और प्रसृत भी किया जाता है। इन बातों का भान न होने का ही अर्थ है ऐतिहासिक दृष्टिकोण का न होना। आकाशवाणी, विद्यापीठ, अकादमी आदि संस्थाएँ भी, जिनका दृष्टिकोण व्यापारी नहीं है, वे भी आशास्थान नहीं बन पाते। आज भी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित संस्था तथा व्यक्तिगत स्तर पर शौक होने की वजह से प्रयत्नशील व्यक्ति के पास ही ध्वनिमुद्रण संग्रह पाया जाता है तथा उपलब्ध होता है। यह तथ्य बहुत कुछ बता जाता है, दुखदायक भी है।

आकाशवाणी :

१) आकाशवाणी ने, जो सभी माध्यमों में शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो, सांगीतिक साक्षरता का प्रमाण बढ़ाने तथा जनसाधारण की बुद्धिमत्ता का गुणांक ऊपर उठाने की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मुख्यतया आकाशवाणी के कारण किसी न किसी प्रकार के संगीत का प्रचलन गृहित माना जा सकता है। आकाशवाणी के केंद्रों का फैला हुआ जाल, रेडिओ सेट की बढ़ती हुई संख्या, उसकी सरकारी ठेकेदारी, उसके द्वारा निश्चित की गयी एक परंपरा आदि के कारण भविष्य में भी ठोस कार्य होने की संभावना है।

२) परंतु आकाशवाणी ने अपने आदर्श विषयों की विचार प्रणालि में तथा कार्यपद्धति में गतिशीलता का जो अभाव दिखाया है वह सहज ही ध्यान में आ जाता है। अब भी अपने बोध वाक्य 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के संकुचित तथा शब्दशः अर्थ को चिपके रहकर ही उसका कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में ऐसा लगता है कि उसके नीतिविषयक निर्णय अपरिपक्व से हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे समाज के सांस्कृतिक स्तर, संख्या तथा गुणों से अधिक विविध होते जाते हैं। उनकी सांगीतिक आवश्यकताएँ भी अधिकाधिक विविध होती जाती है। आकाशवाणी को इन सभी के लिए पर्याप्त बनना है इस बात को भूल जाने से काम नहीं चलेगा। सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में सुरुचि संपन्न तथा साधारण अभिरूचि रखने वाले दोनों ही प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे इस बात को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा आदि के कारण आज जिनकी अभिरूचि साधारण हो ऐसे लोग आगे चलकर अभिरूचि संपन्न होंगे भी। परंतु तब फिर भी कुछ लोग साधारण अभिरूचि के स्तर के रहेंगे। लोकतंत्र का अर्थ सांस्कृतिक अभिरूचि के स्तर को एक मानना अथवा करना नहीं! बल्कि, लोकतंत्र का मतलब है सांगीतिक दृष्टि से साक्षर समाज के 'साक्षर' तथा 'साक्षर और अभिरूचिसंपन्न' स्तरों में मुक्त आदान प्रदान के योग्य अवस्था निर्माण करना। इस बात का प्रमाण आकाशवाणी को अपने कार्यक्रमों के आयोजन तथा उसके प्रस्तुतिकरण से देना चाहिए। अपने बोधवाक्य के लोकतंत्रवादी अंध अर्थ से चिपके रहकर सांस्कृतिक दृष्टि से गतिशील भूमिका निभाने की आशा बड़ी घातक साबित हो सकती है।

३) अपनी मूलभूत सैद्धांतिक भूमिका का अंध अर्थ लगाने से भारत का ध्वनीक्षेपण 'चंक-ब्राडकास्टिंग' निश्चित काल के रिक्त स्थानों को भर देने वाले आंदोलन जैसा हो गया है। कलाकार विशेष की क्षमता सांगीतिक आवश्यकता और संभाव्यता आदि का संकलीत विचार करके फिर समय देखने के बजाय समय के खंड, कलाकारों की श्रेणीयां आदि बातें निश्चित कर संगीत उसमें भर दिया जाता है। फिर ध्वनिमुद्रण तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के संदर्भ में बाजार भाव और ख्याल गायन हवामान और सितार वादन... सभी को समान न्याय मिलता है। आकाशवाणी के ध्वनिमुद्रण के उपकरणों के पीछे बैठे हुए लोगों को 'प्रोग्राम सेन्स' शायद ही होता है। और दुखदायक बात यह है कि इसका उन्हें खेद भी नहीं होता।

४) भारत के अन्य माध्यमों की तरह आकाशवाणी ने भी संसार के अन्य भागों में जो माध्यम संशोधन चल रहा है, उसके बारे में दखल लेना टाल दिया है। आज की अवस्था देखकर ऐसा लगता है की आकाशवाणी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की पुनर्चना तथा पुनर्विचार करने में अप्रसन्न है। माध्यमों ने हमारे मानस में कैसे घर कर लिया है, उनके परिणाम कैसे दूरगामी होते हैं इसका भान होने से माध्यमों के स्वरूप, उनकी कार्य प्रणालि, उनके परिणाम, उनका लचीलापन आदि से सम्बंधित साहित्य विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है। उस पर चर्चा हो रही है। इस साहित्य को सन्दर्भ में लेकर हम माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में माध्यम ही हमारा उपयोग कर रहे हैं।

चित्रपट :

१) जहाँ तक संगीत के प्रसार की बात है तो हम कह सकते हैं कि भारत में शायद चित्रपट ने आकाशवाणी की तुलना में संगीत का अधिक प्रसार किया है। सफाईदार ध्वनिमुद्रण, मधुर तथा लचीली आवाज, परिपूर्ण नादरंग और चित्रपट की घटना का प्राप्त संपुट आदि बातों ने भारतीयों के मन में अच्छी तरह जड़े जमा दी हैं। बड़े निश्चित रूप से कमाये जाने वाले स्वरों की अभिरूची की अपेक्षा चित्रपटसंगीत ने अधिक जन्मजात लय को महत्त्व दिया है। दूसरी बुद्धिमत्ता की बात यह कि चित्रपटों ने श्रोताओं को छोटे छोटे डोज के द्वारा संगीत पिलाने का मार्ग अपनाया है। विविधता की दृष्टि से तो चित्रपट बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे चित्रपटसंगीत ने छुपी चोरी से लेकर खुली उधारी अथवा अनुकरण तक सभी रास्तों पर कदम बढ़ाए है। यह खुला सत्य है कि चित्रपटसंगीत जनसाधारण तक पहुंच गया है शेष संगीत पहुँचना चाहता है।

२) परंतु चित्रपट ने सांगीतिक आशय की अपेक्षा तांत्रिक पहलू की ओर अधिक ध्यान दिया है। तैयार सांगीतिक ढाँचो का प्रयोग और अधिकाधिक परिणामकारी 'खपत' बढ़ाने की ओर ध्यान देने के इस ढंग को चित्रपटसंगीत ने बदलना चाहिए। संगीत की ओर गंभीरता के साथ देखने वालों को भी उन्हें अपने साथ सम्मिलित करना चाहिए। अधिक सुरुचि संपन्नों की आवश्यकताएँ लक्षणीय होती है इस बात को पहचानना चाहिए। आर्ट फिल्मस् का युग क्यों प्रारंभ हुआ इसका अर्थ लगाया जाना चाहिये। खर्च और खपत की ही भाषा को समझने वाले हालीवुड का दिवाला क्यों निकल गया और अभिरूची में कैसे परिवर्तन आया इस बात की ओर सावधानी से देखने में उनका भी हर तरह से लाभ है।

३) चित्रपट व्यवसाय ने भी माध्यम अन्वेषण की ओर ध्यान नहीं दिया है। अपनी उन्नत कमाई और लेन-देन का अल्पांश अन्वेषण के लिए फिर से उपयोग में लाने की आवश्यकता को समझ लेना चाहिए। इससे यह समझना आसान होगा कि यात्रा कैसी हो और वह वैसी ही क्यों हो का प्रवास कैसा हो और वह ऐसा ही क्यों हो।

दूरदर्शन :

दूरदर्शन अभी शैशवावस्था में है। अतः उसके भारतीय स्वरूप के संबंध में इतने जल्दी कोई फैसला करना उचित नहीं होगा। यहाँ पर इतना ही कहना काफी होगा कि माध्यम अन्वेषण का अभाव तथा कार्यक्रम के नियोजन और प्रस्तुत करने में आकाशवाणी को लगी हुई छाप इन दो बातों का नष्ट होना आवश्यक है।

माध्यम सभी ओर से संगीत पर होने वाला आक्रमण भी है और संगीत को उपलब्ध रहने वाला शस्त्रागार भी। परन्तु विकसनशील अवस्था में रहने वाले देश के फायदे और नुकसान दोनों ही हमें उठाने पड़ते हैं। दूसरों की भूलों को टालने का मौका हमें मिलता है, परंतु उस मौके से लाभ उठाने के लिए आवश्यक साधनसामग्री हमें मिलती ही हो ऐसी बात नहीं। परन्तु माध्यमों से सम्बंधित सुबुद्ध और गहरी जानकारी रखने से हमारे कई काम सुलभ हो सकते हैं। संगीत की खोज के एक साधन के नाते संगीतकारों

को माध्यमों की ओर देखना चाहिए। संगीत एक विशेषतापूर्ण तथा सूक्ष्मता के साथ ध्यान देने योग्य आविष्कार मार्ग है ऐसी समझ माध्यमों को होनी चाहिए। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है।
